न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 9/2019

उनवान

1 तेजू पुत्र बींजा
2. रामधन पुत्र धूकल जाति भील निवासी ग्राम सूरजपुरा, नसीराबाद
3. रामलाल पुत्र रणजीत जाति भील निवासी ग्राम रामपुरा हनुवतिंया, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. तेजी पत्नी भैरू
2. लाडा
3. जडाव पि0 भैरू
4. रामधन पुत्र घीसा जाति भांबी नि0 ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज. अधि0 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 17.6.19

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1935/2676 रकबा 1.53 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर बिना किसी कारण दखलदांजी कर रहे है। जिसकी सुरक्षा के लिये उक्त आराजी की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोंटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजुद तामीली अनुपसिथत रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—2

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त सम्पदा प्रार्थीगण की खतेदारी में है। अप्रार्थगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी किये जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी नही किया है।

अतः ग्राम ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1935/2676 रकबा 1.53 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की विधिवत उपसिस्थहित में आराजीर मुतनाजा की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे।पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबद

Scanned by CamScanner